

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-49/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सेन्द्रम हाउसिंग फाईनेन्स लि.  
शाखा कार्यालय-ऑफिस नम्बर  
एस-3, द्वितीय तल, जगदम्बा टॉवर,  
आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर,  
जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री  
सिबासिस दास

- हेम सिंह गहलोत पुत्र प्रेम सिंह गहलोत  
दुकान नाम मारवाड़ बेट्टी, जोधपुर स्टेशन  
पार्क के सामने, मुख्य नागौर रोड  
एनएच 62, 9वीं मील, जोधपुर
- सुशीला देवी पत्नी हेम सिंह गहलोत  
दुकान नाम मारवाड़ बेट्टी, जोधपुर स्टेशन  
पार्क के सामने, मुख्य नागौर रोड  
एनएच 62, 9वीं मील, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-17-07-2025

1-चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण हेम सिंह गहलोत पुत्र प्रेम सिंह गहलोत व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 17,28,870/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण हेम सिंह गहलोत पुत्र प्रेम सिंह गहलोत की जायदाद प्लॉट नम्बर 155, खसरा नम्बर 56, महावीर नगर योजना, ग्राम नांदडी, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 125 वर्गगज, जिसके पूर्व में प्लॉट नम्बर 154, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 156, उत्तर में प्लॉट नम्बर 166 व दक्षिण दिशा में सड़क 25 फीट चौड़ा आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन के अन्तर्गत उक्त प्लॉट को प्रतिभूति के रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने के अर्थ में अर्पण किया गया।

उक्त ऋण ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण से उक्त ऋण का भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण का भुगतान करने से इनकार किया।

Signature valid

Digitally signed by Chandra Singh Agrawal  
DN: cn=Chandra Singh Agrawal, o=Jodhpur District  
Magistrate, email=chandra.singh@jodhpur.gov.in  
Date: 2025.07.17 13:26:41 IST  
Reason: Approved

Page 1 of 2



RajKaj Ref No.:  
16611310

मय ब्याज दिनांक 02.01.2025 तक 19,42,935/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 17,28,870/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 02.01.2025 तक 19,42,935/- वसूल किये जाने हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद हेम सिंह गहलोत पुत्र प्रेम सिंह गहलोत की जायदाद प्लॉट नम्बर 155, खसरा नम्बर 56, महावीर नगर योजना, ग्राम नांदडी, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 125 वर्गगज, जिसके पूर्व में प्लॉट नम्बर 154, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 156, उत्तर में प्लॉट नम्बर 166 व दक्षिण दिशा में सड़क 25 फीट चौड़ा आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आज दिनांक 17-07-2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gajav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.07.17 13:26:41 IST  
Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No.:  
16611310